जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-52 **दिनांक 04.10.2020**

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत गुमशुदगी से सम्बन्धित घटना का अनावरण कर साली की हत्या करने वाले जीजा को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत गुमशुदगी से सम्बन्धित घटना का अनावरण कर साली की हत्या करने वाले जीजा को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

मृतका-

राधा (काल्पनिक नाम) पुत्री स्व0 दिनेश निवासी मकान नं0 167 पूरे माती थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

लवकुश यादव पुत्र रुपलाल निवासी भदुवा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ (प्राइवेट गाड़ियों पर ड्राइवर का काम करता है)

बरामदगी-

1- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल

2- गुमशुदा/मृतका का मास्क, दुपट्टा, चश्मा, स्कूली बैग

वादी श्री अरविन्द पुत्र स्व0 दिनेश निवासी मकान नं0 167 पूरेमोती थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी ने दिनांक 23.09.2020 को थाना कोतवाली नगर पर लिखित सूचना दिया कि मेरी बहन राधा उम्र करीब 16 वर्ष जो राजकीय बालिका इण्टर कालेज बाराबंकी में कक्षा 11 की छात्रा है। दिनांक 21.09.2020 की सुबह करीब 10.30 बजे एक महिला जो उसके घर में किराये पर रहती थी, के साथ स्कूल गयी थी और वापस घर नहीं आयी । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 774/2020 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर0एस0 गौतम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया तथा गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देश दिए गए।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन कर अभिसूचना विकसित करते हुए दिनांक-03.10.2020 को मृतका के जीजा

अभियुक्त लवकुश यादव पुत्र रुपलाल यादव निवासी ग्राम भदुवा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को समय करीब 14.35 बजे गिरफ्तार किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर गुमशुदा के परिजनों से जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 21.09.2020 को स्कूल जाने से करीब 20 मिनट पूर्व गुमशुदा द्वारा अपने माँ के मोबाइल नम्बर 94519..... से मोबाइल नम्बर 86040..... पर कॉल किया गया था। घटना के दिन गुमशुदा अपने घर में रहने वाली एक महिला किरायेदार के साथ घर से गई थी तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के गेट के पास उतर गयी और किरायेदार महिला नाका सतरिख की तरफ चली गयी थी। विवेचना के क्रम में गुमशुदा द्वारा कॉल किए गए मोबाइल नम्बर की सीडीआर व आईडी प्राप्त किया गया। जिससे पाया गया कि उक्त नम्बर गुमशुदा राधा के जीजा लवकुश यादव पुत्र रुपलाल यादव निवासी ग्राम भदुवा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ का है। गहराई से छानबीन व सीडीआर के अवलोकन से पता चला कि घटना के दिन लवकुश यादव व राधा में रात्रि में काफी लम्बी बातचीत भी हुई है। उक्त तथ्य के आधार पर गुमशुदा राधा के जीजा लवकुश यादव से पूछताछ की गयी तो प्रारम्भिक बयान में लवकुश यादव ने स्वीकार किया कि वह और राधा एक दूसरे से प्रेम करते थे तथा लवकुश यादव दिनांक 21.09.2020 को राधा से मिलने राजकीय बालिका इण्टर कालेज के पास आया था। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने के उद्देश्य से मुम्बई जाने का प्लान किये और लवकुश व राधा चारबाग रेलवे स्टेशन गये और पुष्पक ट्रेन से मुम्बई जाने हेतु स्टेशन पर बैठे थे कि तभी लवकुश का एक पुराना मित्र सलमान मिला जो अपने परिवार के साथ मुम्बई जा रहा था। लवकुश व सलमान दोनों पूर्व में वसई फाटा थाना वालीव जिला पालघर महाराष्ट्र में माइक्रोकोटिंग कम्पनी में साथ में काम करते थे। लवकुश ने राधा को सलमान के साथ मुम्बई भेज देने की बात बताई और पुलिस टीम को भ्रमित करते हुए बताया कि राधा सलमान के पास मुम्बई में है, इसपर थाना कोतवाली नगर से पुलिस टीम लवकुश को लेकर मुम्बई गयी तथा लवकुश के बताये स्थानों पर तलाश की गयी परन्तु न तो गुमशुदा राधा मिली न ही सलमान नाम के किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली । वापस बाराबंकी आकर पुनः लवकुश से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो लवकुश द्वारा बताया गया कि राधा मेरे ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी और काफी परेशान कर रही थी, जिससे तंग आकर मैंने उसे जान से मारने का इरादा कर लिया था। दिनांक 21.09.2020 को स्कूल से गंगागंज की तरफ अपनी मोटरसाइकिल से ले गया और मोहद्दीनपुर चौकी थाना सतरिख से आगे जैसाना गांव के पास चकसार जंगल में ले जाकर राधा के दुपट्टे से उसका गला कस कर जान से मार दिया तथा शव को वही झाड़ी में छुपा दिया और घर चला गया। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में थाना सतरिख से जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 27.09.2020 को चकसार जंगल में एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव मिला था, जिसका पंचायतनामा भरकर निर्धारित समय तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त पहचान न हो पाने के कारण अज्ञात में ही पोस्टमार्टम कराया गया तथा शव का सम्मान पूर्वक अन्तिम संस्कार कराया गया । गुमशुदा राधा के परिजनों को थाना सतरिख ले जाकर शव का फोटो तथा वीडियो दिखाया गया तो परिजनों ने मृतका की पहचान राधा के रुप में की ।

अभियुक्त एवं राधा के परिजनों को साथ लेकर घटनास्थल पर गये जहां लवकुश यादव द्वारा बताये गये स्थान से मृतका का मास्क, दुपट्टा, चश्मा व स्कूली बैग बरामद हुआ। इन वस्तुओं की पहचान भी मृतका के परिजनों द्वारा की गयी है । उक्त के आधार पर मु0अ0स0 774/2020 धारा 363 भादवि में धारा 302/201 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल भी बरामद कर ली गयी है ।

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
2. व0उ0नि0 सतीश कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
3. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार आजाद थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
4. का0 विवेकानन्द यादव, का0 इन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
5. का0 नितिश सिंह, चा0का0 अमरजीत यादव थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।